(वाद संख्या–4860/18)

19.03.2021

परिवादी, राजेन्द्र बैठा अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राजेन्द्र बैठा द्वारा अपने विपक्षी, संतोष रजक के मेल व प्रभाव में आकर रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी द्वारा परिवादी के हिस्सेवाली जमीन को विपक्षी, संतोष रजक के पक्ष में परित्याग कर देने हेतु अनुचित दबाव व धमकी देने व झुठे मुकदमे में अभियुक्त बना देने की धमकी दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (मु0), सिवान के प्रतिवेदनानुसार परिवादी तथा परिवादी के पट्टीदार संतोष कुमार के बीच बंटवारा को लेकर विवाद है। परिवादी के आवासीय जमीन में 01कट्ठा 08 धूर बंटबारा में मिलना चाहिए था। लेकिन उसे 01कट्ठा 05 धूर ही जमीन मिली है। परिवादी अपने विपक्षी से 15 धुरकी जमीन चाहते हैं। जबकि 04"x10" जमीन देने पर राजी हो रहे हैं। इसी विवाद के समाधान हेतु परिवादी का विपक्षी से बातचीत चल रहा है। जांच के क्रम में परिवादी द्वारा रघुनाथपुर थाना के थानाध्यक्ष के विरूद्ध अपने विपक्षी की मदद करने का आरोप को आशंकावश लिया गया आरोप बताया गया। पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामला एक भूमि विवाद है जिसके संबंध में परिवादी सक्षम सिविल कोर्ट से विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन परिवादी आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही परिवादी की ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण ही दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि

परिवादी को प्रसंगाधीन मामले में अब कोई दिलचस्पी शेष नहीं रह गयी है।

अब, जबकि परिवादी नोटिस के बावजूद भी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन (पृ0–12–11/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक